

।कया जाना उंचेत व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीया पतासी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (सुन्तुनी)

